# न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

## जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 05 / 2018 वाद
GCMS No. – 2018 / 00018

1. श्री जगदीश पिता दोला जी जाति धाकड़ निवासी अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज
2. श्री राधेश्याम पिता दोला जी जाति धाकड़ निवासी अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज०
3. श्री भागीरथ पिता दोला जी जाति धाकड निवासी अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. श्रीमती मांगीबाई पत्नि स्व० दोला जी जाति धाकड निवासी अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नि कैलाशचन्द्र जी मुन्दड़ा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेडा राज०
2. श्री मुकेश पिता कैलाशचन्द्र जी मुन्दड़ा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेडा राज०

....... प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

: : निर्णय ::   दिनांक :– 29.12.2023

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीयाने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] निवेदन किया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीया[illegible]जा अरनियाजोशी पटवार हल्का अरनियाजोशी तहसील निम्बा[illegible] नम्बर 786 रकबा 0.0100 हे० गे.मु.चाह व आरा[illegible] 787 रकब[illegible]8700 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8800 हे0 स्थित है। जिस[illegible] जी चारण का खे[illegible]म में प्यारा पिता परथा जी धाकड़ का खेत, उत्तर [illegible] नानालाल पिता भगव[illegible] भील, सोहनलाल पिता मांगीलाल जी भील निवासी अरनियाजोशी का खेत व दक्षिण में रास्ता एंव सरकारी जमीन स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता व पति दोला पिता नारायण जी धाकड निवासी अरनियाजोशी के जमाने से चली आ रही है उक्त आराजीयात पर वादीगण अपने पिता

व पति के जमाने से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात पर वर्तमान में अफीम, लहसुन की फसल बो रखी है तथा वादीगण की आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई तालुक सरोकार संबंध नहीं है तथा कोई लेना देना नही है। वादीगण की आराजीयात के उत्तरी दिशा में नानाला व सोहनलाल भील की जमीन है। प्रतिवादीगण उक्त भीलो की जमीन को अपनी होना बताते है और अपनी होना बताकर वादीगण की आराजीयात की उत्तरी दिशा की कुछ भूमि अपनी होना बताकर जबरन नाजायज कब्जा करने पर आमादा है, जबकि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता व पति के जमाने से चली आ रही है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में उत्तरी दिशा की तरफ अफीम की फसल खड़ी हुई है प्रतिवादीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से वादीगण की आराजीयात के उत्तरी दिशा में किसी भी भूभाग पर कभी नही रहा है। प्रतिवादीगण भूमाफियाओ से मिलकर और दादा लोगो से साठ गांठ कर वादीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाना चाहते है और जबरन नाजायज कब्जा करना चाहते है और आये दिन नाजायज कब्जा करने की धमकीया दे रहे है जबकि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई तालुक सरोकार संबंध नही है। वादीगण एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियो द्वारा प्रतिवादीगणो को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है और वादीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात की उत्तरी दिशा की कुछ भूमि अपनी होना बताकर जबरन नाजायज कब्जा करना चाहते है और समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अपना जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। ।

4. वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज के रूप में ग्राम अरनियाजोशी पटवार हल्का अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 की खाता संख्या 49 ,मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की है।

5. प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हैं जिसे अपने हक हिस्से की भूमि पर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा साबित है जिसका कोई विधिक आधार प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से भी वादी के कथनों को बल मिलता है। वादी का वाद डिक्री योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 16:47:54 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह की खातेदारी भूमि वाके मौजा अरनियाजोशी पटवार हल्का अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 49 की आराजी नम्बर 786 रकबा 0.0100 हे० गे.मु.चाह व आराजी नम्बर 787 रकबा 0.8700 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8800 हैक्टयर भूमि में वादी को अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करावें तथा

प्रतिवादीगण जबरन कब्जा न तो स्वयं करें ना ही अपने किसी अन्य से करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/23

रमेश सीरवी पुनाड़िया
(सहायक कलक्टर)
पिण्डवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

# न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ ( R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 05 / 2018 वाद
GCMS No. – 2018 / 00018

1. श्री जगदीश पिता दोला जी जाति धाकड निवासी अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज
2. श्री राधेश्याम पिता दोला जी जाति धाकड़ निवासी अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज०
3. श्री भागीरथ पिता दोला जी जाति धाकड निवासी अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. श्रीमती मांगीबाई पत्नि स्व० दोला जी जाति धाकड निवासी अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज०

....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नि कैलाशचन्द्र जी मुन्दड़ा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेडा राज०
2. श्री मुकेश पिता कैलाशचन्द्र जी मुन्दड़ा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेडा राज०

....... प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली आज दिनांक को वादीयाके अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थिति मे पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य मे कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा अरनियाजोशी पटवार हल्का अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 49 की आराजी नम्बर 786 रकबा 0.0100 हे० गे.मु.चाह व आराजी नम्बर 787 रकबा 0.8700 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8800 हैक्टयर भूमि में वादी को अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करवायें प्रतिवादीगण जबरन कब्जा न तो स्वयं करें ना ही अपने किसी अन्य से करवाये प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

यह आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

27/12/23

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
(सहायक कलक्टर)
निम्बाहेड़ा